

9/11/2020

शायी के अभिभाषक श्री अमित वधेला उपर।  
अशायी सं 2 लगा 10 की ओर से श्री हरवीर सिंह  
एडवोकेट उपर। अशायी सं 11 क्वेय उपर। अशायी  
सं 1 व 12 की ओर से पेंसेलर सरकार उपर।  
शायी पर पर दोनों पक्षों को सुना गया।  
शायी के अभिभाषक ने कथना किया कि उनके  
अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री  
हरी सिंह लम्बोरा से न्याय की उम्मीद नहीं है।  
अतः पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण  
की जावे। अशायी सं 2 लगा 10 के अभिभाषक  
ने कथन किया कि पीठासीन अधिकारी श्री हरी सिंह  
लम्बोरा का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः इस  
शा पर को बलिय जाने का कोई औचित्य नहीं  
है।

हरवीर सिंह 25/11/20  
अशायी सं 2 लगा 10  
की ओर से।  
सं 1 व 12

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
रिकार्ड का अपलोकन करने के पश्चात हम इस  
निषकर्ष पर पहुँचे हैं कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी  
का स्थानान्तरण हो चुका है। प्रकरण में आगे कार्यवाही  
किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना  
का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है।  
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की शक्ति  
के साथ वापस भिजवाई जावे। दोनों पक्षों को पाबंद  
किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में  
दिनांक 24/11/2020 को उपस्थित हों। प्रार्थना पत्र  
फैसल शुभार होकर नम्बर से कम किया जाकर  
वाइ तकमील राखिल दफतर हो। निर्णय सुले न्याया  
सुनाया गया।

(आरो के जायसवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर